बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

-:: अधिसूचना ::-

संचिका संख्या-स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-1)-5082/निदेशक, आई०सी०डी०एस० निदेशालय, बिहार, पटना के ज्ञापांक-56/मु० दिनांक-09.08.2024 द्वारा दिनांक-05.08.2024 को बाल विकास परियोजना कार्यालय, कदवा एवं कदवा परियोजनान्तर्गत पाँच ऑगनबाड़ी केन्द्रों यथा केन्द्र संख्या-48, 49, 05, 269, 06 के किये गये औचक निरीक्षण का निरीक्षण प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जॉच प्रतिवेदन के अनुसार समेकित बाल विकास परियोजना कार्यालय, कदवा में रोकड़बही में 1,97,37,770/- रूपये का असमायोजित अभिश्रव विगत 02 वर्षों से असमायोजित पाये जाने, पोषाहार के क्रय भाउचर पर मई माह का भाउचर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित नहीं पाये जाने, अण्डा वितरण एवं WBNP के चावल का उठाव नियमानुसार नहीं पाये जाने का उल्लेख किया गया। साथ हीं परियोजनान्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार केन्द्र सं०-48 पर सहायिका अनुपस्थित पाये जाने, पाँचों निरीक्षित केन्द्रों पर बच्चों की उपस्थिति क्रमशः शून्य, 02, 16, 18, 18 पाये जाने, बच्चे पोशाक में नहीं पाये जाने, केन्द्र पर प्रदत गैस चूल्हा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप नहीं होने, दिनांक-06.07.2024 को वाल विकास परियोजना पदाधिकारी के निरीक्षण के दौरान आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-49 पर बच्चों की उपस्थिति शून्य पाये जाने पर नियमानुसार कोई कार्रवाई नहीं किये जाने एवं केन्द्र संचालन संबंधी अन्य कई अनियमितताओं के पाये जाने का उल्लेख किया गया है।

जॉच प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित कमियों / अनियमितताओं की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई। समीक्षोपरांत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कदवा, कटिहार को आंगनबाड़ी केन्द्रों के सुचारू संचालन में पूर्णतः विफल रहना पाते हुए उन्हें निलंबित करने का निर्णय लिया गया था।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में श्रीमती शबनम शीला गुडिया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कदवा, कटिहार को विभागीय अधिसूचना संख्या-3873 दिनांक-14.08.2024 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया था।

तत्क्रम में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है।

अत: उक्त परिपेक्ष्य में श्रीमती शबनम शीला गुडिया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कदवा, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर) को तत्काल प्रभाव से निलंबन मुक्त किया जाता है।

1. श्रीमती शबनम शीला गुडिया को आदेश दिया जाता है कि वे निलंबनमुक्ति के पश्चात अपना योगदान विभागीय मुख्यालय में देना सुनिश्चित करें।
2. निलंबन अवधि के लिए देय वेतन के बिन्दु पर विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर अलग से निर्णय लिया जायेगा।
3. विभागीय कार्यवाही अलग से संचालित की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

27/6/25

(योगेश कुमार सागर)
संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-1)- 5082 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।

निबंधित

ज्ञापांक :- स०क०निग०-145/2024 (खण्ड-1)- 5082 पटना-15 दिनांक :- 27.6.2025

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, मुंगेर/पूर्णियाँ/निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी/कटिहार/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी (स्थापना), समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना/ विभागीय आई0 टी0 मैनेजर (विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु)/श्रीमती शबनम शीला गुडिया, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कदवा, कटिहार सम्प्रति निलंबित (निलंबन अवधि का मुख्यालय- आयुक्त कार्यालय, मुंगेर) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/6/25

संयुक्त सचिव
समाज कल्याण विभाग।